

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 697 / 2010 / जयपुर

मैसर्स फाईन कलर केम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पंकज घीया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26 / 02 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 210 / अति.आयुक्त (अपील्स) / अपील-II / 2001-02 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1998-99 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 29, 65, 58 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.01.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म का विभागीय टीम द्वारा दिनांक 16.02.1999 को सर्वेक्षण किया जाकर व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए विक्रय किये गये इण्डस्ट्रियल केमिकल को 'थिनर' मानते हुए सामान्य कर दर 16 प्रतिशत से कर योग्य अवधारित करते हुए 12 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 65 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में रुपये 47,974 /- की करापवंचित बिक्री किये जाने के आधार पर 16 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 65 के तहत शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 29.01.2001 से किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध

सगातार.....2

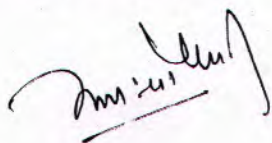
प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2010 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया कि उनके द्वारा बिक्रीत माल इण्डस्ट्रियल केमिकल है, जिसका उपयोग औद्योगिक इकाईयों में पेन्ट के साथ मिलाकर किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं जांच के उक्त माल को थिनर मानते हुए केमिकल की श्रेणी से बाहर रखते हुए तदनुसार करारोपण किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व था कि वे किसी वस्तुविशेष की श्रेणी में परिवर्तन से पूर्व उक्त माल की श्रेणी का स्पष्ट रूप से विनिश्चय करते, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई, ना ही ऐसे कोई साक्ष्य रेकॉर्ड पर लिये गये, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि विवादित माल थिनर है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों का समुचित अवलोकन किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल 'थिनर' है, जो दो या दो से अधिक केमिकल/सॉल्वेंट का मिश्रण होने से केमिकल की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत थे, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि में रुपये 6,14,593/- के इण्डस्ट्रियल केमिकल की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए की गयी, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त उत्पाद को "थिनर" मानते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या S.O.-114 दिनांक 09.07.1998 "Thinner, Varnish, Polish, Turpentine Oil"-16% के अनुसार 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए 12 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तदनुसार ब्याज एवं करापवंचन के लिये अधिनियम की धारा 65 के

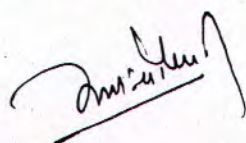
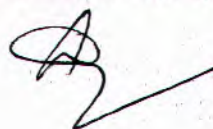



लगातार.....3

तहत शास्ति का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में रूपये 47,974/- की करापवंचित बिक्री किया जाना भी पाया गया, जिस पर व्यवहारी द्वारा 16 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज एवं धारा 65 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश की यथावत पुष्टि करते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।

7. इस प्रकरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.02.1999 को अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान लिये गये बयान एवं जांच रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकट किया गया था कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा विभिन्न तरह के केमिकल की बिक्री की जाती है, जिनके बिल केमिकल के रूप में विभिन्न नामों से विक्रय किये गये थे, जिसमें मुख्यतया Acetone, Methanol, Tollvene, Ethyal Acetate, Butyl Acetate, N.B.A., D1 Acetone आदि थे, परन्तु जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की घोषित नामावली को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि माल का विक्रय मुख्यतया पेन्ट के व्यवसायियों को किया गया है, जिसका प्रयोग उन क्रेताओं द्वारा पेन्ट को पतला करने में लिया जाता है ऐसी स्थिति में उसे थिनर माना जाकर "थिनर" की कर दर 16 प्रतिशत आरोपित की गई, जबकि अपीलार्थी द्वारा इसे अपने बिलों में इण्डस्ट्रियल केमिकल घोषित किया हुआ था।

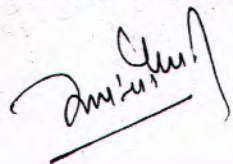
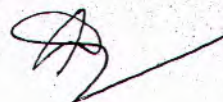
8. प्रकरण से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्ययन तथा अभियोग स्थापित करने के बाद दिये गये नोटिस के जवाब के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में यह बताया गया था कि उनके द्वारा विभिन्न तरह के ऊपर वर्णित केमिकल का विक्रय किया जाता है जिनके नाम एवं गुणवत्ता की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अलावा अपने जवाब में यह बताया गया था कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल केवलमात्र केमिकल ही है, जो सामान्य व्यापारिक परिभाषा में भी केमिकल के रूप में ही जाने जाते हैं एवं सेन्ट्रल एक्साईज टैरिफ में भी इनका वर्गीकरण केमिकल के रूप में होने से उसी अनुसार एक्साईज ड्यूटी उदग्रहित की जाती है। अपने जवाब में अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को यह बताया गया था कि उनके द्वारा केमिकल के रूप में ही माल का विक्रय होता है एवं क्रेता द्वारा भी इसे केमिकल के रूप में ही प्राप्त किया जाता है एवं दोनों ही क्रेता एवं विक्रेता केवल केमिकल का ही व्यापार करते हैं। ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी अन्यथा साक्ष्य के उनके द्वारा घोषित वस्तु को थिनर बताया जाना उचित प्रतीत

लगातार.....4

नहीं होता है। अपीलार्थी व्यवहारी का यह स्पष्टीकरण उचित है कि जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान उनके द्वारा विक्रय किये गये केमिकल के सेम्पल भी प्राप्त किये गये थे, जिसका उल्लेख दिनांक 16.9.99 की जांच प्रपत्र में लिया गया है उनमें NCS, Tolwin, M.T.O., Polish Wood Primer. L.D., Solvent आदि 6 तरह के माल थे परन्तु इनकी कोई जांच किये बिना अथवा अपीलार्थी को इनकी जानकारी दिये बिना इन केमिकल को थिनर मानते हुए करारोपण किया गया है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रत्युत्तर को बिना किसी साक्ष्यों के अन्यथा प्रमाणित करते हुए जो करारोपण किया गया है वह उचित नहीं है। अधिनियम की धारा 28 के तहत प्रथम बार किये गये आदेश दिनांक 05.04.99 के पठन से भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा घोषित किये गये इण्डस्ट्रियल केमिकल को अन्यथा प्रमाणित किये जाने का भार कर निर्धारण अधिकारी पर था जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश के पृष्ठ 2 पर यह उल्लेख किया है कि :- "व्यवहारी द्वारा जो उत्पाद की बिक्री की जाती है वह राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अनुसार 16% से करयोग्य है। व्यवहारी ने यह जवाब दिया कि उसके क्रेता व वे केमिकल में ही व्यवसाय करते हैं। इसका उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। व्यवहारी का यह कथन पूर्णतया गलत है। लेखा पुस्तकों की जांच से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा अधिकांशतया बिक्री पेन्ट व्यवसायों को की गई है जो इसका प्रयोग पेन्ट को पतला करने में लेते हैं जो कि वास्तव में थिनर है तथा 16% से करयोग्य है।" एवं अन्त में यह निर्णय किया कि व्यवसायी का जवाब स्वीकार योग्य नहीं है।

9. इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के अपीलार्थी की घोषित बिक्रियों को अन्यथा मानकर जो आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं न्याय के विरुद्ध है क्योंकि यदि किसी भी व्यवसायी द्वारा किसी माल का विक्रय किये जाने में उस माल की प्रकृति अनुसार नाम का अंकन किया जाना संदेहास्पद है, तब उसको अन्यथा प्रमाणित करने का भार (Burden of proof) कर निर्धारण अधिकारी का होता है जबकि ऐसा कोई भार वहन किये बिना उसके विपरीत यह अंकन किया गया है कि व्यवहारी ने केमिकल होने का सबूत पेश नहीं किया जो पूर्णतया विधि के प्रतिकूल उल्लेख है क्योंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक स्थान पर अपनी वस्तुओं के नाम सहित इण्डस्ट्रियल केमिकल होना दर्शाया गया था ऐसी स्थिति में उसका यह माल केमिकल है, उसको प्रमाणित करने का भार व्यवहारी पर आरोपित करना गलत है, क्योंकि उनके द्वारा अपने जवाब में विक्रय किये गये वस्तुओं के नाम सहित पूर्ण नाम अंकित किये गये थे, इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उनके पूरे जवाब को अपने आदेश में अंकित किया

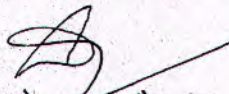
लगातार.....5

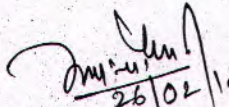
है परन्तु अन्त में यह लिखा गया कि यह माल थिनर माना जाता है क्योंकि वह माल पेन्ट व्यवसायियों द्वारा खरीदा जाता है। इस तरह का निष्कर्ष पूर्णतया अस्वीकार योग्य है, क्योंकि केवलमात्र अपने विचार मात्र से या अपने मत के अनुसार किसी भी घोषित बिक्री को अन्यथा बताये जाने को विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की ओर से दिये गये जवाब को खण्डित किये बिना स्वैच्छा से इण्डस्ट्रियल केमिकल को थिनर मानकर आरोपण किया है वह अनुचित होने से अपास्त योग्य है। इसके अलावा यह टिप्पणी करना उचित होगा कि कर निर्धारण अधिकारी को उनके माल का अन्यथा होने का संदेह था तब उनके क्रेताओं से भी जांच की जा सकती थी एवं उनके द्वारा बयान लिये जा सकते थे कि उनके द्वारा खरीद किया गया माल किस तरह थिनर माने जाने योग्य है। जबकि ऐसा कोई कार्य या जांच उनके द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में केवलमात्र अपने मत के अनुसार स्वैच्छा से किसी भी वस्तु को अन्यथा मानकर उसकी करदर को बढ़ाये जाने के आदेश को विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता।

10. इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा समस्त माल अपने विवरण पत्रों एवं लेखा-पुस्तकों में इंड्राजित किया गया था एवं उसे इण्डस्ट्रियल केमिकल के रूप में ही विक्रय किया गया था ऐसी स्थिति में उसे छिपाया जाना मानते हुए करापवंचन के आधार पर शास्ति आरोपित की गयी है वह भी यह त्रुटिपूर्ण है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल अपने मत अनुसार कर एवं शास्ति आरोपित करते हुए मांग सृजित की गयी है जो उचित नहीं है।

11. फलतः कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है एवं व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


26/02/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य